(24)

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– 980

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 29/10/2020

विषय – रिलायन्स जीयों इन्फोकॉम लि० द्वारा गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत गया–गोह–मदनपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.69048 हे० वन भूमि का "स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 (जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि०) द्वारा गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत गया–गोह–मदनपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.69048 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेट कॉर्डिनेटर, बिहार, पटना का प्रस्ताव जॉचोपरान्त वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण दो वन प्रमंडलन्तर्गत होना है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	गया	0.2877	0
1	औरंगाबाद	0.40278	0
	कुल	**0.69048**	**0**

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 400 (E) दिनांक 16.02.1994 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.69048 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं औरंगाबाद तथा वन संरक्षक, गया द्वारा किया गया है।

(23)

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर वर्ष 2016 में कार्य प्रारंभ कर 10 कि०मी० (0.0822 हे०) में कार्य कर लिया गया है, वर्त्तमान में कार्य बंद है। दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं औरंगाबाद द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1 एवं 0.1 से कम अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपोशीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 4036 दिनांक 24.09.2020 एवं जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 700 दिनांक 15.03.2017 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा 0.0822 हे० में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2016 में करने के कारण MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में NPV के समतुल्य राशि रू० 51,457/– मात्र का प्रतिवर्ष 12% ब्याज के साथ कुल रूपये 82,331/– मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष अतिरिक्त जमा किया जायेगा।

9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

10. Laying of underground optical fiber cable अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश समान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

.10.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।